इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 565] भोपाल, सोमवार, दिनांक 17 अक्टूबर 2022—आश्विन 25, शक 1944

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर 2022

क्र. 15668-261-इक्कीस-अ. (प्रा.).--मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 17 अक्टूबर, 2022 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २५ सन् २०२२

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, २०२२

[दिनांक १७ अक्टूबर, २०२२ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक १७ अक्टूबर, २०२२ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, २०२२ है.

अनुसूची का संशोधन. २. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की अनुसूची में, अनुक्रमांक ४० तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:—

अनु-क्रमांक (१)	निजी विश्वविद्यालय का नाम (२)	प्रायोजी निकाय का नाम (३)	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति (४)	मुख्य परिसर (५)	अधिकारिता (६)
''४१	प्रेस्टीज विश्वविद्यालय, इन्दौर	प्रेस्टीज एज्यूकेशन फाउन्डेशन, इन्दौर	कंपनी अधिनियम, २०१३ (२०१३ का १८) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी	प्रेस्टीज विश्वविद्यालय ग्राम- रिंगनोदिया, इन्दौर-उज्जैन स्टेट हाइवे, इन्दौर	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
४२	शुभम् विश्वविद्यालय, भोपाल	साईंनाथ एज्यूकेशनल ट्रस्ट, आगरा (उ.प्र.)	भारतीय न्यास अधिनियम, १८८२ (१८८२ का २) के अधीन रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास	शुभम् विश्वविद्यालय, सेमरा सैयद, तहसील हुजूर, जिला भोपाल	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
४३	डॉ. प्रीति ग्लोबल विश्वविद्यालय, शिवपुरी	लक्ष्मण सेठ एज्यूकेशन फाउन्डेशन, झांसी (उ.प्र.)	कंपनी अधिनियम, १९५६ (१९५६ का १) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी	डॉ. प्रीति ग्लोबल विश्वविद्यालय, ग्राम-दिनारा, तहसील-करेरा, जिला-शिवपुरी	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
४४	एल.एन.सी.टी. विद्यापीठ विश्वविद्यालय, इन्दौर	श्री आस्था फाउण्डेशन फॉर एज्यूकेशन सोसाइटी, इन्दौर	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी	एल.एन.सी.टी. केम्पस, ग्राम-कनाड़िया, कनाड़िया रोड, इन्दौर	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
४५	अमलतास विश्वविद्यालय, देवास	अमलतास एज्यूकेशनल वेलफेयर सोसाइटी, इन्दौर	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी	अमलतास विश्वविद्यालय, देवास, देवास-उज्जैन स्टेट हाइवे, बांगर, जिला देवास	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
४६	आर्यावर्त विश्वविद्यालय, सीहोर	ए.पी.एस. शिक्षा प्रसार समिति, छतरपुर	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी	आर्यावर्त विश्वविद्यालय, नेशनल हाइवे-४६, ग्राम झारखेडा, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
४७	विक्रांत विश्वविद्यालय, ग्वालियर	विक्रांत एज्यूकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी, ग्वालियर	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी	विक्रांत विश्वविद्यालय, ग्राम-रतवई, चितोरा रोड, बड़ा गांव, मुरार, ग्वालियर	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
४८	ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, सागर	ज्ञानवीर सेवा समिति, सागर	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी	ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, ग्राम मारा इमलिया, पी.एच.-२०, खण्ड राहतगढ़, जिला सागर	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश.''.

३. (१) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अध्यादेश, २०२२ (क्रमांक २ सन् २०२२) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर 2022

क्र. 15668-261-इक्कीस-अ. (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, 2022 (क्रमांक 25 सन् 2022) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.